संख्या– VI–1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून:दिनांक 16 फरवरी, 2006

विषयः पूर्व राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी जी के पैतृक ग्राम जौरासी जनपद चमोली में मूर्ति स्थापना एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1553/ सं0नि0उ0/दो–4/ 2004–05, दिनांक 04 मार्च, 2005 एवं जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या–08/पन्द्रह–17, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि रू0 38.00 लाख(रूपये अडतिस लाख रूपये मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 22.27 लाख में से वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 1.83 लाख (रूपये एक लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त मूर्ति स्थापना एवं सौन्दर्यीकरण हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधर पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हो, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय –समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205– कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–102– कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–10–महानुभावों की मूर्ति स्थापना–1091– जिला योजना–25– लघु निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
11– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या– 230 /वित्त अनुभाग–3/2005, दिनांक 13 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्टांकन संख्या– 117 /VI–I/2005, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल,
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7– एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
9–बजट राजकोषीय अधिकारी,उत्तरांचल शासन,देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव